न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 54 / 2017

तारीख रजू:– 14.06.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. लाडमसिंह पुत्र छतरसिंह
2. नीलमसिंह पुत्र छतरसिंह
3. श्यामसिंह पुत्र छतरसिंह
4. शान्ति बेबा छतरसिंह
5. जल्लो पुत्री छतरसिंह
6. वीरो पुत्री छतरसिंह

सभी जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

———————————— सायलान

बनाम

1. बिजेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौ सिटी जिला करौली राजस्थान
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन लैण्ड होल्डर
3. उप पंजीयक, सब रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान———————————————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री कर्मेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट सायलान
2. पुष्पेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय

दिनांक :– 24.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में गैरसायलान के खिलाफ पेश कर दिया है। जो काफी मजबूत है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 37 रकबा 0.13 है0, 38 रकबा 0.20 है0, 60 रकबा 0.20 है0, 171 रकबा 0.

Scanned by CamScanner

18 है0, 244 रकबा 0.03 है0, 473 रकबा 0.12 है0, 485 रकबा 0.09 है0, 539 रकबा 0.19 है0, 852 रकबा 0.08 है0, 1044 रकबा 0.26 है0, 1154/1259 रकबा 0.10 है0, 1155 रकबा 0.17 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं02 व 3 प्रार्थना पत्र में वादीगण/ सायलान बहिस्सा 1/2 एवं गैरसायल सं01 बहिस्सा 1/2 के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज एवं दखील है एवं आराजी मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के सायलान एवं गैरसायल नं01, 1/2, 1/2 के खातेदार है तथा कृषि करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 में सायलान के पिता छतरसिंह व गैरसायल के नाम खातेदारी थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में गैरसायल नं01 बिजेन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज कर दी।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त का बाहमी बंटवारा हो रहा है लेकिन कौन–कौन किस नम्बर पर काबिज एवं दखील है तथा विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है आये दिन डौल मेंढ व लगान सरकारी को लेकर विवाद बना रहता है। अब संयुक्त खातेदारी में रहकर काश्त करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। आपस में डौल मेंढ पर कहन सुन हो जाती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 12.06.2017 को सुबह करीब 9 बजे की बात है कि सायलान अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात में अगली फसल के लिए जौत लगवा रहे थे कि गैरसायल नं01 अपने साथ कुछा लोगों को लेकर आ गया और कहने लगा कि तुम इस आराजीयात में जोत मत लगवाओं मैं इसे बेच रहा हूँ तो सायलान द्वारा समझाया कि उक्त आराजी हमारे हिस्से में आ रही है तथा हम शुरू से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। अगर तुम्हें परेशानी है तो तहसील हिण्डौन में चलकर बंटवारा करा लेते हैं। इतना कहने पर गैरसायल 01 नाराज हो गया और कहे लगा कि न तो हम बंटवारा कराऊँगा ना ही तहसील जाऊँगा। तुम्हें बेदखल कर कब्जा छीन लूंगा तथा आराजीयात का बेचान कर दूंगा, जो तुमसे अपने आप कब्जा छी लेगा। इस प्रकार गैरसायल नं01 इस नीयत में कामयाब हो गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति पैदा हो जावेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू पूरी तरह से सायलान के पक्ष में साबित है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबन्द न किये जाने में सायलान को अपूर्तनीय क्षति है। जिसकी क्षति पूर्ति दृव्य में होना सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से गैरसायल सं01 को इस अमर के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 37 रकबा 0.13 है0, 38 रकबा 0.20 है0, 60 रकबा 0.20 है0, 171 रकबा 0.18 है0, 244 रकबा 0.03 है0, 473 रकबा 0.12 है0, 485 रकबा 0.09 है0, 539 रकबा 0.19 है0, 852 रकबा 0.08 है0, 1044 रकबा 0.26 है0, 1154/1259 रकबा 0.10 है0, 1155 रकबा 0.17 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन व खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन सायलान के कब्जे व हिस्से में आयी आराजीयात को नाकाबिल काश्त नहीं बनाये तथा सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत बेजा नहीं करें। सायलान को बेदखल नहीं करें, ना ही स्वंय कब्जा करें। आराजीयात को खुर्दबुर्द नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें कि जिससे सायलान के हक,हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 बाद तामील जरिये बकालतन उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार है, जिसमें सायलान को सफलता मिले की लेसमात्र की सम्भावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज आराजीयात वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 ग्राम महूखास में स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है [illegible] नहीं है। आराजी मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से [illegible] का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। बल्कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 14 एयर स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन सिटी गैरसायल सं01 की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। उक्त आराजी में सायलान 1/2 हिस्से के खातेदार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.09.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 कतई गलत व असत्य होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 14 एयर स्थित महूखास तहसील हिण्डौन में सायलान के पिता छतरसिंह के नाम खातेदारी कभी नहीं रही। आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 14 एयर स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन भूमि गैरसायल सं01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त भूमि से सायलान या किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। साबिक में आराजीयात खसरा नम्बर 431 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0, 842 रकबा 0.06 है0, 850 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन का दौजी पुत्र गुटका जाट अकेला खातेदार काश्तकार था और अपनी खातेदारी की भूमि पर अकेला काश्त करता चला आ रहा था खातेदार दौजी पुत्र गुटका ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में से आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में अपने सम्पूर्ण हिस्से को गैरसायल नं01 बिजेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी महूखास को विक्रय कर भूमि पर कब्जा बाकई मौके पर गैरसायल नं01 को करा दिया था, जिसका नामातकरण सं0 144 दिनांक 20.02.2001 को तहसीलदार हिण्डौन ने गैरसायल नं01 विजेन्द्रसिंह के हक में भरकर गैरसायल नं01 विजेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। गैरसायल नं01 बिजेन्द्रसिंह अपनी खरीदशुदा भूमि पर खरीद के दिन से ही एक्यूजिवली वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दखली होकर खुल्लम खुल्ला सायलान के इल्म में शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहाहै। जिससे सायलान या किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। सायलान नाजायज रूप से गैरसायल नं01 की उक्त भूमि को हडपने की गरज से उक्त मद में दावा व प्रार्थना पत्र हाजा दायर करने की गरज से झूठी कहानी दर्ज की है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल 01 ने अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.13 है0, 38 रकबा 0.20 है0, 60 रकबा 0.20 है0, 171 रकबा 0.18 है0, 244 रकबा 0.03 है0, 473 रकबा 0.12 है0, 485 रकबा 0.09 है0, 539 रकबा 0.19 है0, 852 रकबा 0.08 है0, 1044 रकबा 0.26 है0, 1154/1259 रकबा 0.10 है0, 1155 रकबा 0.17 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन के 1/2 पर व आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 के सम्पूर्ण भाग में वर्तमान में बाजरे की फसल काश्त की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल नं01 मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र पर बहिस्सा काबिज दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है। गैरसायल नं01 के सम्पूर्ण हिस्से पर आज दिन तक किसी डोल मेंड को लेकर झगडा किसी प्रकार का नहीं हुआ है। सायलान ने उक्त मद में

Scanned by CamScanner

समस्त तथ्य महज प्रार्थना पत्र दायर करने की गरज से असत्य दर्ज किए हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं07 कतई गलत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मद में दर्ज दिनांक 12.06.2017 को सुबह करीब 9 बजे या किसी समय सायलान व गैरसायल नं01 के मध्य कोई कहा सुनी या वार्तालाप किसी प्रकार का कभी नहीं हुआ। सायलान ने महज प्रार्थना पत्र दायर करने की गरज से उक्त मद में समस्त तथ्य कतई गलत एवं असत्य मनगढन्त दर्ज किए हैं, जिसमें लेश मात्र की सच्चाई नहीं है जब गैरसायल नं01 मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का 1/2 व मुतजिका मद नं04 प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 हे0 सम्पूर्ण खसरे का खातेदार काश्तकार है और मुताविक हिस्सा वहैसियत खातेदार काश्तकार अपनी भूमि को काश्त कर पैदा उठाता चला आ रहा है तो सायलान द्वारा कहा सुनी करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न हीं होता है। सायल नं01 को उसकी भूमि पर किसी प्रकार से पाबन्द करने की इजाजत कानून नहीं देता है। सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति किसी प्रकार की नहीं हुई है जबकि गैरसायल नं01 को, सायलान द्वारा झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र दायर करने से अपूर्तनीय क्षति हुई है। जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं08गलत होने के कारण अस्वीकार है।प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में नहीं है बल्कि गैरसायल नं01 के पक्ष में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं09 गलत होने के कारण अस्वीकार है। गैरसायल नं01 को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है, यदि गैरसायल को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर दिया तो गैरसायल नं01 को अपूर्तनीय क्षति होगी , जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं है जबकि गैरसायल नं01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करने से सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नहीं होगी।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी स[illegible] फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73, फोटो प्रति बही[illegible] सुदी 5 सम्बत् 2050 पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील गैरसायल नं01 [illegible] दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2054 से 57, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73,

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी सं0 2073, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, पेश किये हैं।

सायलान अधिवक्ता एवं गैरसायल नं01 के अधिवक्ता उपस्थित। सायलान अधिवक्ता एवं गैरसायल नं01 के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायल नं01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सायलान अधिवक्ता एवं गैरसायल नं01 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 37 रकबा 0.13 है0, 38 रकबा 0.20 है0, 60 रकबा 0.20 है0, 171 रकबा 0.18 है0, 244 रकबा 0.03 है0, 473 रकबा 0.12 है0, 485 रकबा 0.09 है0, 539 रकबा 0.19 है0, 852 रकबा 0.08 है0, 1044 रकबा 0.26 है0, 1154/1259 रकबा 0.10 है0, 1155 रकबा 0.17 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी विजेन्द्र पुत्र धर्मसिंह हि01/2 राहिन बीओबी शाखा महूइब्राहिमपुर मुर्तहिन, नीलमसिंह लाडमसिंह श्यामसिंह पि0 छतरसिंह शान्ति बेबा छतरसिंह जल्लो वीरो पुत्रियॉ छतरसिंह हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी विजेन्द्र पुत्र धर्मसिंह जाति जाट सा0देह राहिन बीओबी शाखा महूइब्राहिमपुर मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति बही की लिखावट मिति आषाढ सुदी 5 सम्बत् 2050 में अंकन किया है कि लिखावट लिख दीनी विजेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी महूखास ने छतरसिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी महूखास को आज मिति आषाढ सुदी 5 सम्बत् 2050 को हमारा खेत दौजी को मीठोर के कुआ पर रजिस्ट्री करवाई, दौजी ने उसके बदले में बीच के कुआ के नीचे, नीचे के खेत की भाई बन्दों के समझौते पर विजेन्द्रर को रजिस्ट्री करवाई, जिसका खसरा नम्बर 525 है। विजेन्द्र अपनी जमीन बीच के कुआ की वायवारी खेत की अपने हिस्से की जमीन भैया छत्तर को करवाऊँगा, यह लिखावट मैंने बिना किसी दबाब के बिना नशे पते के अपने होश हवाश से लिखी है। अगर इसमें कोई अपनी बात पर फिरता है तो वह राज पंच में झूठा साबित होगा सनद रहे जरूरत पडने पर काम आवे। उक्त लिखावट पर विजेन्द्र, निर्भयसिंह, तानसिंह सोरन, गोरधन, छतरसिंह के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2054 से 57 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 431 रकबा 0.07 है0, 525 रकबा 0.14 है0, 842 रकबा 0.06 है0, 850 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम महूखास

Scanned by CamScanner

तहसील हिण्डौन की खातेदारी दौजी पुत्र गुटका जाट सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 144 दिनांक 20.02.2001 स्वीकार होने पर विक्रय पत्र– खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 की खातेदारी विजेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट सा0देह के नाम स्वीकार हुई दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात आराजीयात खसरा नम्बर 37 रकबा 0.13 है0, 38 रकबा 0.20 है0, 60 रकबा 0.20 है0, 171 रकबा 0.18 है0, 244 रकबा 0.03 है0, 473 रकबा 0.12 है0, 485 रकबा 0.09 है0, 539 रकबा 0.19 है0, 852 रकबा 0.08 है0, 1044 रकबा 0.26 है0, 1154/1259 रकबा 0.10 है0, 1155 रकबा 0.17 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में सायला हिस्सा 1/2 एवं गैरसायल नं01 हिस्सा 1/2 के रिकोर्डेड सहखातेदार कातश्कार है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन दौजी पुत्र गुटका जाट निवासी महूखास की खातेदारी की भूमि थी, जिसे दौजी जाट ने विजेन्द्रसिंह के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है तथा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार भरे गये नामान्तकरण सं0 144 फैंसल दिनांक 20.02.2001 के आधार खातेदारी गैरसायल नं01 विजेन्द्रसिंह के हक में तब्दील हुई है। बही की लिखावट बही की लिखावट मिति आषाढ सुदी 5 सम्बत् 2050 में अंकन किया है कि लिखावट लिख दीनी विजेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी महूखास ने छतरसिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी महूखास को आज मिति आषाढ सुदी 5 सम्बत् 2050 को हमारा खेत दौजी को मीठोर के कुआ पर रजिस्ट्री करवाई, दौजी ने उसके बदले में बीच के कुआ के नीचे, नीचे के खेत की भाई बन्दों के समझौते पर विजेन्द्रर को रजिस्ट्री करवाई, जिसका खसरा नम्बर 525 है। विजेन्द्र अपनी जमीन बीच के कुआ की वायवारी खेत की अपने हिस्से की जमीन भैया छत्तर को करवाऊँगा, यह लिखावट मैंने बिना किसी दबाब के बिना नशे पते के अपने होश हवाश से लिखी है। अगर इसमें कोई अपनी बात पर फिरता है तो वह राज पंच में झूठा साबित होगा सनद रहे जरूरत पडने पर काम आवे। उक्त लिखावट पर विजेन्द्र, निर्भयसिंह,ताननसिंह सोलंकी, गोरधन, छतरसिंह के हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 525 रकबा 0.14 है0 की रजिस्ट्री दौजी से विजेन्द्रसिंह के हक में हुई है वह बदले के आधार पर विजेन्द्रसिंह के हक में विजेन्द्रसिंह के भाईयों की सहमति से हुई है तथा विजेन्द्र अपनी जमीन बीच के कुआ की वायवारी खेत की अपने हिस्से की जमीन भैया छत्तर को करवायेगा, किन्तु गैरसायल नं01 ने ऐसा नहीं किया है। इसी बात को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद है। दौजी के द्वारा विजेन्द्रसिंह के हक में रजिस्ट्री कराने से पूर्व धर्मसिंह के द्वारा दौजी के हक में अपनी खातेदारी की भूमि दी होगी तथा उसकी रजिस्ट्री दौजी के हक में कराई गई होगी, तभी उक्त भूमि बदले की है। यदि उक्त भूमि का दौजी से बदला नहीं होता तो लिखावट में यह अंकन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

होता कि हमारा खेत दौजी को मीठोर के कुआ पर रजिस्ट्री करवाई। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में पक्षकारान के मध्य और विवाद नहीं बढे इसलिए विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पावन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 37 रकबा 0.13 है0, 38 रकबा 0.20 है0,60 रकबा 0.20 है0, 171 रकबा 0.18 है0, 244 रकबा 0.03 है0, 473 रकबा 0.12 है0, 485 रकबा 0.09 है0, 539 रकबा 0.19 है0, 852 रकबा 0.08 है0, 1044 रकबा 0.26 है0, 1154/1259 रकबा 0.10 है0, 1155 रकबा 0.17 है0, 525 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें। सायलान के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत गैरसायलान ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें कि जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।सायलान को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.03.21
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner